

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:- 24/12/18.

संख्या-ग्रा0वि0-3/स्था0-04-01/2018 402929./ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ग्रामीण विकास पदाधिकारी सेवा के लिए अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-7 (₹44900-142400) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी (RDO) के रूप में औपबंधिक रूप से अगले छः माह के लिए नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-8 में अंकित जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. सं.	अनु-क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेघा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	पदस्थापित जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	154435	श्री सुनील कुमार मिश्र, पिता-श्री नेहरू जी मिश्र, ग्राम+पो0-मलुकही, थाना- कप्तानगंज, जनपद- कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-274301	उत्तर प्रदेश (अन्य राज्य)	05.11.1988	269	01-सामान्य	सिवान
2	154430	श्री आशीष कुमार, पिता-श्री इन्दानंद ठाकुर, ग्राम-पारा, पो0-भोगा भरगामा, थाना-हसनगंज, जिला-कटिहार पिन कोड-854337	कटिहार	25.07.1986	290	01-सामान्य	पूर्णियां
3	361463	श्री कैलाश पति मिश्रा, पिता-श्री अमरनाथ मिश्रा, ग्राम+पो0-बेलाही, थाना-बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा पिन कोड-852101	मधेपुरा	31.12.1979	293	01-सामान्य	सहरसा
4	176002	श्री आलोक कुमार, पिता-श्री अमरेन्द्र लाल दास, गा-घोंघेया, पो0-लक्ष्मणपुर, थाना-बहेड़ा, जिला-दरभंगा पिन कोड-847201	दरभंगा	02.01.1977	307	01-सामान्य	मधुबनी

क्र. सं.	अनु-क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेघा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	पदस्थापित जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
5	193933	श्री नीलेश कुमार, पिता-श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, शांति निकेतन कॉलोनी, बिहार कॉलेज आफ फार्मसी के पास दानापुर, कैन्ट, पटना, पिन कोड-801503	पटना	19.05.1975	340	01-सामान्य	वैशाली
6	216212	श्री हरिओम शरण, पिता-श्री गोपी मोहन शर्मा, नाथलोक कॉलोनी, कहलगांव, थाना-कहलगांव, जिला-भागलपुर, पिन कोड-813204	भागलपुर	20.10.1986	343	01-सामान्य	मुंगेर
7	157657	श्री कुन्दन कुमार, पिता-श्री भूषण सिंह, ग्रा+पो0- औरैना, थाना- मुफस्लि, जिला-नवादा, पिन कोड-805123	नवादा	11.01.1989	353	01-सामान्य	गया
8	107658	श्री आलोक कुमार सिंह, पिता-श्री मुक्ति नाथ सिंह, ग्राम-बरवां, पो0-श्यामपुर, थाना-संग्रामपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण, पिन कोड-845417	पूर्वी चम्पारण	12.10.1986	357	01-सामान्य	पश्चिम चम्पारण
9	148012	सुश्री रीतिका सहाय, श्री नागेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, गुरूकुल अकादमी न्यू सिधौली बोरिंग रोड डालमियानगर, रोहतास, पिन कोड-821305	रोहतास	28.06.1987	369	01-सामान्य	बक्सर
10	112331	श्री सतीश कुमार, पिता-श्री उपेन्द्र कुमार, ग्राम-शिवनगर, पो0-लोशघानी, थाना- पीरी बाजार, जिला-लखीसराय, पिन कोड-811112	लखीसराय	12.10.1986	377	01-सामान्य	बेगूसराय
11	360393	श्री राकेश कुमार, श्री सीताराम प्रसाद सिंह, ग्राम-पो0-डुमरावां आठघर, थाना-पकरीबरावां, जिला-नवादा, पिन कोड-805132	नवादा	01.05.1982	380	01-सामान्य	नालन्दा

क्र. सं.	अनु-क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेघा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	पदस्थापित जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
12	432153	मो० वशीक हुसैन, पिता-मो० कमलुद्दीन, ग्राम-कुरुडीह, पो०-बदलुचक, भाया-जगदीशपुर, थाना-गोराडीह, जिला-भागलपुर, पिन कोड-813105	भागलपुर	01.02.1987	383	01-सामान्य	जमुई
13	470374	श्री सम्मट जीत, पिता- श्री राजेश्वर यादव, चांदमारी रोड, पो०-लोहियानगर, थाना-कंकडबाग, जिला-पटना, पिन कोड- 800020	पटना	26.09.1988	396	05-पिछड़ा वर्ग	सारण
14	244852	श्री अश्वनी कुमार, पिता- श्री नंद किशोर सिंह, वार्ड नं०-10, ग्राम+पो०-मथुरापुर, थाना-खगडिया, जिला-खगडिया, पिन कोड-851204	खगडिया	02.01.1988	408	05-पिछड़ा वर्ग	कटिहार
15	308649	सुश्री प्रकृति नयनम, पिता-श्री प्रशांत कुमार सिंह, ग्राम-परबंदा, पो०-फजिलपुर, थाना-वीरपुर, जिला-बेगूसराय, पिन कोड- 851127	बेगूसराय	05.09.1991	423	05-पिछड़ा वर्ग	समस्तीपुर
16	376023	सुश्री अनुपम कुमारी, पिता-डा० हरे राम महतो, सिद्धार्थपुरम, रामदयालुनगर, अतरदह, पो०-रमना, जिला-मुजफ्फरपुर, पिन कोड-842002	मुजफ्फरपुर	31.03.1985	464	06-पि०व० महिला	पटना
17	109940	श्री युसुफ सिराज, पिता-श्री सिराजुद्दीन अंसारी, सिराज बिला, बैंक कॉलोनी, पो०-गुलजारबाग, थाना-आलमगंज, पटना, पिन कोड-800007	पटना	18.06.1989	614	04-अत्यंत पिछड़ा वर्ग	मुजफ्फरपुर
18	329963	श्री आलोक कुमार, पिता- श्री लालबाबू प्रसाद, द्वारा-अशोक स्टूडियो, ग्राम-सादिकपुर, पो०-सरैया फैक्ट्री, जिला-मुजफ्फरपुर, पिन कोड- 843126	मुजफ्फरपुर	01.06.1982	676	04-अत्यंत पिछड़ा वर्ग	दरभंगा

क्र. सं.	अनु-क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	पदस्थापित जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
19	180228	श्री अब्दुल कयूम, पिता-श्री नगीना मियां, ग्राम+पो0-परसा, थाना- मझौलिया, जिला- पश्चिम चम्पारण, पिन कोड- 845454	पश्चिम चम्पारण	16.11.1975	687	04- अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पूर्वी चम्पारण
20	298426	श्री संजय कुमार, पिता-श्री गर्भू मंडल, ग्राम-हरिने, पो0+थाना- हरलाखी, जिला- मधुबनी, पिन कोड-847240	मधुबनी	27.02.1985	698	04- अत्यंत पिछड़ा वर्ग	सीतामढी
21	363984	श्री प्रदीप कुमार चौधरी, पिता-स्व0- बिन्देश्वर प्रसाद चौधरी, ग्राम+ पो0-चोरसुआ, थाना-गिरियक, जिला- नालन्दा, पिन कोड-803115	नालन्दा	15.02.1984	1129	02- अनु0 जाति	नवादा
22	342867	सुश्री अर्चना कुमारी, पिता-श्री शशि भूषण सिंह, ग्राम- ताजपुर, पो0- कमला गोपालपुर, थाना-मनेर, जिला- पटना, पिन कोड-800111	पटना	10.12.1991	1178	06- पिछड़ा वर्ग की महिला (Disabled-OH)	भोजपुर

2. पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में उपर्युक्त सभी अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ अगले छः माह के लिए की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तब तक विस्तारित होता रहेगा, जब तक कि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाय।

3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. सभी नियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।



5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 21.08.2005 एवं पत्रांक 768 पे0को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

6. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे मूल रूप में संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा ।

7. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र योगदान देने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।

8. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

9. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

10. इसमें सरकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधा किशोर झा)

सरकार के नियुक्त सचिव

जापांक:- 402929

दिनांक:- 24/12/18

ग्रा0वि0-3/स्था0-04-01/2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि उपरोक्त कंडिका-02 में यथा उल्लिखित शर्तों के आलोक में औपबंधिक रूप से नियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारी का वेतन पूर्जा योगदान की तिथि से अगले छः माह के लिए निर्गत किया जाय ।

सरकार के नियुक्त सचिव

जापांक:- 402929

दिनांक:- 24/12/18

प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना/ महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास, बिहार, पटना/ सभी विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त /सभी कोषागार पदाधिकारी/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी तथा सभी प्रशाखा पदाधिकारी (चरित्री कोषांग सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे अपने जिले में पदस्थापित अभ्यर्थियों की योगदान स्वीकृत कर योगदान प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा की जाय ।

3. नवनियुक्त अभ्यर्थी पदस्थापित जिले में योगदान देने के पश्चात् विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तत्काल व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

4. महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना से अनुरोध है कि सांस्थिक प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम तैयार कर विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारियों को संसूचित करेंगे और तदनुसार उन्हें सांस्थिक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा विरमित किया जायेगा ।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 402929

दिनांक:- 24/12/18

प्रतिलिपि- श्री/श्रीमती

पिता/ पति का नाम

ग्राम/मो0-

पोस्ट.....

थाना

जिला

को सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. आपको निदेश दिया जाता है कि दिनांक तक अपना योगदान निश्चित रूप से संबंधित जिला पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे । निर्धारित अवधि तक योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी ।

Photograph

सरकार के संयुक्त सचिव